रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2019/अग्रहायण 29, 1941
No. 733] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2019/AGRAHAYANA 29, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,17 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 940(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (तृतीय संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खंड (य क), (य ख) एवं (य ग) का लोप कर दिया जायगा।

3. नियम 5 में:-

(i) उप-नियम (2) के लिए, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्-

"(2) खंड 3 के उप-खंड (8) के अनुसार विशेष आर्थिक जोन की श्रेणी या श्रेणियों के लिए भूमि के न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताएं निम्नलिखित होंगी अर्थात्:-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिक परिचालित सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल के अतिरिक्त) सेवा के लिए विशेष आर्थिक जोन के अलावा किसी अन्य विशेष आर्थिक जोन या मुक्त व्यापार भांडागारण जोन के लिए सन्निहित भू क्षेत्र पचास हेक्टेयर या अधिक का होगा।

परंतु शर्त यह है कि यदि यह विशेष आर्थिक जोन असम, मेघालय, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा में या किसी संघ शासित क्षेत्र में प्रस्तावित है, तो सन्निहित भूक्षेत्र पच्चीस हेक्टेयर या अधिक होगा।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी परिचालित सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल के अतिरिक्त) सेवा के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने हेतु किसी न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन नगरों की श्रेणी के आधार पर न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र आवश्यकता लागू होगी, जैसाकि निम्नलिखित सारिणी में निर्दिष्ट है, अर्थात:-

सारणी

क्रम संख्या	अनुलग्नक iv क के अनुसार नगरों का श्रेणीकरण	न्यूनतम निर्मित क्षेत्र आवश्यकता (प्रस्तावित)
(1)	(2)	(3)
1.	प्रवर्ग 'क'	50,000 वर्ग मीटर
2.	प्रवर्ग 'ख'	25,000 वर्ग मीटर
3.	प्रवर्ग 'ग'	15,000 वर्ग मीटर

(ग) किसी भी विशेष आर्थिक जोन में न्यूनतम प्रसंस्करण क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन के कुल क्षेत्र के पचास प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

(घ) सभी विद्यमान अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन को मल्टी-सेक्टर विशेष आर्थिक जोन माना जाएगा।

स्पष्टीकरण- ''मल्टी सेक्टर विशेष आर्थिक जोन'' से एक से अधिक क्षेत्र के लिए ऐसा विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत है जहाँ दो या उससे अधिक क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं या दो या उससे अधिक क्षेत्रों में आने वाली सेवाएं प्रदान करने अथवा व्यापार और भांडागारण सहित किसी अन्य संयोजन के लिए यूनिटें स्थापित की जा सकती है।

(ii) उप नियम(7) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "अनुमोदन बोर्ड, विकासकर्ता के लिखित अनुरोध पर और संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, दस वर्ष की उक्त अवधि के अतिरिक्त, एक बार में एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक विस्तारित कर सकता है जबकि ऐसे विस्तार दस वर्ष से अधिक न हो"।

(iii) उप- नियम(7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) सूचना प्रौद्योगिकी अथवा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन के मामले में, सेवाओं संबंधी अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन पत्र जारी किया जाएगा जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अथवा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं जैसे वित्तीय सेवाओं, परामर्शी सेवाओं, डिजाइन सेवाओं, वास्तुविद् सेवाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा कोचिंग सेवाओं के साथ ब्राड-बैंड किया जा सकता है"।

4. मूल नियमों में, 'उपाबंध iv' का लोप किया जाएगा।

5. मूल नियमों में, 'उपाबंध –iv' क' में कोष्ठकों एवं शब्दों "(ख क)" के स्थान पर कोष्ठकों एवं शब्द "(ख)" को रखा जाएगा।

[फा.सं. के-43014(22)/15/2019–एसईजेड]

बी.बी.स्वेन, अपर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड(1) में अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 54 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए और अंत में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 200 (अ) तारीख 7 मार्च, 2019 के द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2019

G.S.R. 940(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Special Economic Zones (3rdAmendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, (herein after referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1), clauses (za), (zb) and (zc) shall be omitted.

3. In rule 5, -

(i) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely: -

"(2) The requirements of minimum area of land for a class or classes of Special Economic Zone in terms of sub-section (8) of section 3 shall be the following, namely: -

(a) A Special Economic Zone or Free Trade Warehousing Zone other than a Special Economic Zone for Information Technology or Information Technology enabled Services, Biotech or Health (other than hospital) service, shall have a contiguous land area of fifty hectares or more:

Provided that in case a Special Economic Zone is proposed to be set up in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Goa or in a Union territory, the area shall be twenty-five hectares or more.

(b) There shall be no minimum land area requirement for setting up a Special Economic Zone for Information Technology or Information Technology enabled Services, Biotech or Health (other than hospital) service, but a minimum built up processing area requirement shall be applicable, based on the category of cities, as specified in the following Table, namely: –

TABLE

Sl. No.	Categories of cities as per Annexure IV A	Minimum Built-up area requirement (proposed)
(1)	(2)	(3)
1.	Category 'A'	50,000 sq.mts.
2.	Category 'B'	25,000 sq. mts.
3.	Category 'C'	15,000 sq. mts.

(c) The minimum processing area in any Special Economic Zone cannot be less than fifty per cent. of the total area of the Special Economic Zone.

(d) All existing notified Special Economic Zone shall be deemed to be a multi-sector Special Economic Zone.

Explanation. – For the purpose of this clause, a "multi-sector Special Economic Zone" means a Special Economic Zone for more than one sector where Units may be setup for manufacture of goods falling in two or more sectors or rendering of services falling in two or more sectors or any combination thereof including trading and warehousing.";

(ii) in sub-rule (7), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the Board of Approval may, upon request in writing by the Developer, and after being satisfied that it is necessary and expedient to do so, grant extension beyond the said period of ten years for a further period of not exceeding one year, at a time, subject to maximum upto ten such extension.";

(iii) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(8) In case of a Special Economic Zone for Information Technology or Information Technology enabled Services, letter of approval shall be issued by the Approval Committee for services, which can be broad-banded

with Information Technology or Information Technology enabled Services such as financial services, consultancy services, design services, architect services, commercial training or coaching services.".

4. In the principal rules, the 'Annexure IV' shall be omitted.

5. In the principal rules, in 'Annexure IV-A', for the brackets and letters "(ba)", the brackets and letter "(b)" shall be substituted.

[F.No. K.43014(22)/15/2019-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(i), *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended *vide* notification number G.S.R 200 (E), dated the 7th March, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.12.20 15:51:30 +05'30'